प्रति,

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

विषय:— पेंशन के साथ प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने अथवा भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित सी.जी.एच.एस. की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प।

उपरोक्त विषयार्न्तगत पेंशन के साथ भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित सी.जी. एच.एस. की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प देता / देती हूँ। भोपाल,

दिनांक

भवदीय

फार्म-1 [नियम 46 (1) देखिये]

मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान के लिये नामनिर्देशन

जब शासकीय कर्मचारी का कोई परिवार हो और वह उसके एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों को नाम निर्दिग्ट करना बाहता हो :-

मैं, एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को जो, मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं, नाम निर्दिष्ट करता हूं और उसे/उन्हें नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, ऐसा कोई भी उपदान जो कि शासन द्वारा सेवा में रहते हुए या सेवा निवृत्ति के बाद मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मंजूर किया जाए, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हू

	मूल नाम निर्दिष	ट व्यक्ति		वैकल्पिक नाम निर्दिष्ट व्यक्ति	
नाम निर्दिष्ट व्यक्ति/ नाम नर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम ओर पते	शासकीय कर्मचारी से संबंध	आयु	प्रत्येक को देय उपदान के हिस्से की रकम*	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों में यदि कोई हो/हों, का/के नाम पता/पते संबंध तथा आयु जिसे/जिन्हें नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकार, व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकार, व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु के पूर्व हो जाने की स्थिति में या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु के पृत्व हो जाने की स्थिति में या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व हो जाने की स्थिति में अंतरित होगा	प्रत्येक को देय उपदान के हिरसे के रकम**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

^{*}यह नामनिर्देशन मेरे द्वारा इससे पहले की तारीख़ को किये गये नानिर्देशन को, जो कि रदद हो जायेगा, अतिष्ठित करता है.

टिप्पणी:-(1) शासकीय सेवक प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आरपार रेखा खींच देगा ताकि उसके हस्ताक्षर के बाद कोई नाम जोड़ा ना जा सके.

^{(2) *}यदि लागू न हो, तो काट दीजिये.

आज तारीखमाह	2016 को में
हस्ताक्षरित	
हस्ताक्षर के साक्षी	
2	शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर
*यह खाना इस प्रकार भरा जाना चाहिये कि उपदान की **इस खाने में दशांई गई उपदान की रकम/हिस्से में मृ आ जाना चाहिये.	सम्पूर्ण रकम इसके अंतर्गत आ जाये. [ल नामनिर्दिष्ट व्यक्ति/नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को देय सपूर्ण रकम/हिरसा
(कार्यालय	य प्रमुख द्वारा भावेगा)
श्री भाष्रसे. हारा	नामनिर्देशन
	कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
पद का नाम	तारीख
कार्यालय	पदनाम
	शन फार्म की प्राप्ति की अभिस्वीकृति का प्रोफार्मा
प्रति, श्री	
2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	में आपके नामनिर्देशन, तारीख पूर्वतर कियं की प्राप्ति अभिरवीकार करता हूं उसे पूर्णरूप से अभिलेख में रख
स्थान	कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर (पदनाम)
	उयह उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के हित में होगा यदि नाम निर्देशनों तथा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाये, ताकि वे उसकी मृत्यु हो जाने के रिथति मे

फार्म 3 [नियम 47 (12) देखिये] परिवार का ब्यौरा

इस प्रयोजन के	लिये परिवार से तात्पर्य निम्नलिखित से है:				
(क)	पुरुष शासकीय कर्मचारी के मामले में पत्नी या पत्नियां,				
(ख)	महिला शासकीय कर्मचारी के मामले में पति,				
(π)	इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुत्र और चौबीस वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियां, जिसमें ऐसा पुत्र या भी शामिल होगी, जिन्हें सेवानिवृत्ति होने के पूर्व वैध रूप से गोद लिया गया हो.				
टिप्पणी:- पत्नी त	नथा पति में कमशः न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद किए हुए पत्नी तथा पति शामिल होंगे				
(कार्या <mark>लय प्रमुख द्वारा भरा जावेगा)</mark>					
परिवार का ब्यौर	[:				
in the second second second	द्वारा प्रस्तुत किया गया				

कार्यालय.....

पुत्री

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक.

पदनाम_____

फार्म 25

(नियम-66 के नीचे की टीप देखिये)

घोषणा

मैं (नाम)	जो मध्यप्रदेश	शासन के अधीन	
-		(कार्याल	ाय का नाम
(पद् नाम)	के पद पर	कार्य करता था, एतदद्वारा, घोषणा	करता हू कि मध्यप्रदेश
शासन की सेवा में रहने के समय मेरे द्वारा अधि	वित्रासकीय	आवासगृह के संबंध में गृह-भाडा	या जल कर की कोई
शाासकीय देय रकम मेरी सर्वोत्त जानकारी और वि			
		}	
		सेवा निवृत्त शासकीय व	भयारा क हरतिहार

अभिप्रमाणित कार्यालय/विभाग प्रमुख के हरताक्षर

फार्म 26

(नियम-66 के नीचे की टीप देखिये)

वचन पत्र

चूंकि मैं (नाम) पद पर कार्यरत था ।	मध्यप्रदेश शासन के अधीन		
और चूंकि में दिनांक	ही आयु प्राप्त कर लेने के कारण / या । निवृत्त हो गया हूं		
और चूंकि शासन को देय सभी रकमों जिनमें मुझसे वसूली योग्य गृह–भाडा तथा ज परीक्षण तथा जांच करने में कुछ समय लगने की संभावना है.	ल–कर भी शामिल है के लेखाओं का		
और चूंकि, शासन ने जांच पूरी होने की प्रत्याशी में मेरे द्वारा की गई सेवा के लिये देने की इच्छा व्यक्त की है, जिससे की शासन ऐसी कोई देय रकम निर्धारित कर सके, जो मुझ	मुझे देय पेंशन तथा उपदान की रकम सि वसूली योग्य पायी जाये		
और चूकि उक्त जाच के फलस्वरूप मुझसे वसूली योग्य पायी गई उक्त देय रकम क गया है.	न भुगतान करना मेरे लिये अनिवार्य हो		
अतः अब मैं, एतदृद्वारा, यह वचन देता हूं कि मैं उस रकम का भुगतान करूंगा, जो मुझसे वसूली योग्य पायी जाये और यदि मांग करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर में उसका भुगतान न कर सकूं तो उक्त रकम मुझसे भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जा सकेगी, यह वचन पत्र केवल उन देय रकमों पर लागू होता हैं, जिनकी सूचना मेरी सेवानिवृद्ति के 12 माहों के भीतर मुझे दी जाये ।			
	हस्ताक्षर तथा पद नाम		
तारीख/ /2016			
गवाहं -			
1			
2	मेरे समक्ष हरताक्षर किये गये		
	रामधा सभा गरमण		

फार्म 26

(नियम-66 के नीचे की टीप देखिये)

वचन पत्र

चूंकि मैं (नाम)पद पर कार्यरत था ।	मध्यप्रदेश शासन के अधीन		
और वूंकि मैं दिनांक को अधिवार्षिक शासन के आदेशों के अनुसार सेवा	ो आयु प्राप्त कर लेने के कारण / या निवृत्त हो गया हूं		
और चूंकि शासन को देय सभी रकमों जिनमें मुझसे वसूली योग्य गृह–भाड़ा तथा जर परीक्षण तथा जांच करने में कुछ समय लगने की संभावना है.	त-कर भी शामिल है के लेखाओं का		
और चूंकि, शासन ने जांच पूरी होने की प्रत्याशी में मेरे द्वारा की गई सेवा के लिये मु देने की इच्छा व्यक्त की हैं, जिससे की शासन ऐसी कोई देय रकम निर्धारित कर सके, जो मुझर	नुझे देय पेंशन तथा उपदान की रकम मैं वसूली योग्य पायी जाये		
और चूकि उक्त जांच के फलस्वरूप मुझसे वसूली योग्य पायी गई उक्त देय रकम का गया है.	भुगतान करना मेरे लिये अनिवार्य ही		
अतः अब मैं, एतद्द्वारा, यह वचन देता हूं कि मैं उस रकम का भुगतान करूंगा, जो मुझसे वसूली योग्य पायी जाये और यदि मांग करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर में उसका भुगतान न कर सकूं तो उक्त रकम मुझसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जा सकेगी, यह वचन पत्र केवल उन देय रकमों पर लागू होता है, जिनकी सूचना गेरी सेवानिवृत्ति के 12 माहों के भीतर मुझे दी जाये ।			
	हस्ताक्षर तथा पद नाम		
तारीख/ /2016			
गवाह:			
1			
2	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये		
	हस्ताक्षर तथा पदनाम		

5	श्री
	1
	2
	3
	अभिप्रमाणित
	अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम एवं सील
6	श्री आय.ए.एस. के व्यक्तिगत पहचान चिन्ह:—
	१ उचाई
	2 पहचान चिन्हों का विवरण
	अभिप्रमाणित
	हस्ताक्षर
	अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम एवं सील
7	जिला कोपालय का नाम जहां से पेंशनर, अपनी आंतिम पेशन प्राप्त करना चाहता है.
	में अपनी अंतिम पेंशन एवं उपादान राशि जिला कोषालय. से प्रा
	करना चाहता हू
	पेशनर के हरताक्षर
	सील

8	पेशनर का वर्तमान एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत का स्थायी पता:			
	 वर्तमान रोवानिवृत्ति के उपरांत का स्थायी पता :- 			
	पेंशनर के हस्ताक्षर सील			
9	शासकीय धन या ऋण की वसूली पेंशन/उपादान से करने का सहमति पत्रक:- मैं सहमति देता हूं कि मेरे सेवानिवृत्ति के पश्चात् मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई शासकीय धन या ऋण एवं ऋण पर व्याज बकाया पाया जाय तो उसकी वसूली मुझे देय अंतिम पेंशन/उपादान से कर लिया जाये, जिसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी.			
	पेशनर के हरताक्षर सील			
10.	किसी अन्य सेवा के लिए अभी तक कोई पेंशन या उपादान प्राप्त न होने संबंधी घोषणा पत्र– मैं घोषित करता हूं कि मैंने किसी अन्य सेवा के पेंशन तथा उपादान का कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया है			
0	पेंशनर के हस्ताक्षर			
	सील			

संयुक्त छाया चित्र

में और मेरी पत्नी श्रीमती

का पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा किया गया एवं उसे राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित भी कराया गया.

पेंशनर के हस्ताक्षर

सील

	नाम अधिकारी		भाप्रसे	विभाग	
	अग्रिम का प्रकार:-				
		गृह निर्माण अग्रिम प्लाट अग्रिम मोटर कार, अग्रिम स्कूटर अग्रिम	जो लागू	्न हो काट दे	
		200			
	आदेश कमांक		दिनांक	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	अग्रिम की राशि आहरण	ा का विवरण:			
	प्रथम किश्त रू		आहरण	दि एवं व्हाउसर्च क	
	द्वितीय किश्त रू.			ü	
	तृतीय किश्त रू.			u .	
	अतिरिक्त मूल्य रू.			"	
	किश्तों की संख्या				
	किश्तों की मासिक राधि	ì		gf	तिम
	प्रथम किश्तें काटने का	दिनांक		6	
	अतिम किश्त कांटने क	त दिनांक		ora assertiona, diservational	
)	ब्याज की राशि रूपये			outron of the second of the se	
)	व्याज की राशि कितनी	किश्तों में काटी गई किश्त	तों की संख्या		0.390
	किश्त की मासिक दर	75			
2)	यदि कोई राशि शेष ह	ì:			
		मूलधन रू	पये निरंक		
		व्याज रूप	थे निरंक		
				हस्ताक्षर	

FORM-D

FORM OF APPLICATION FOR COMMUTATION OF A R FRACTION OF SUPERANNUATION PENSION WITHOUT ME MEDICAL EXAMINATION WHEN APPLICANT DESIRES THAT THE PAYMENT OF THE COMMUTED VALUE OF PENSION SHOULD BE AUTHORISED THROUGH THE PENSION PAYMENT

(To be submitted in duplicate 3 months before the date of retirement)

PART I

To,	
00000	The Chief Secretary to the Government of
9318233	Subject:-Commutation of pension without medical Examination.
Sir,	
(Com	I desire to commute a fraction of my pension in with the provision of the Alsomutation of pension) Regulations 1959. The necessary particulars are furnished below:-
2.	Father's Name (and also husband's name)
	In the case of female member of the service.)
3.	Designation
4.	Name of Office/Department/Ministry
	In which posted
5.	Date of birth (by Christiania)
6.	Date of retirement on Superanuation or on
	the expiry of extention in service
7.	Fraction of Superannuation Pension
	Proposed to be commuted (Maximum amount
	Of Pension that can be commuted in one 40%
8.	Disbursing authority from which Pension is
	to be drawn after retirement.
(a)	Treasury/SubTreasury (Name and
	Complete address of the Treasury Sub-Treasury
	to be indicated.

(b) (i) Branch of the nationlised bank with.....

	complete postal address			
(ii)	Bank account No to which monthly			
	pension is to be credited each month.			
(c)	Designation and address of the Account			
	Officer (Applicable in a case where the			
	pension is proposed to be drawn through			
	an Account Officer other then the A.C.			
	issuing the P.R.O.			
		Signature Present Postal Address		
		riesent rostal Address		
	*	Postal Address after retirement		
Place:				
Note:	The payment of commuted value of pension s from which pension is to be drawn after retirer commuted value of Pension from a disbursing from which pension is to be drawn.	hall be made through the disbursing authority nent. It is not open to an applicant to draw the		

PART II

Receive	rd from Shri/Smt./Kumari
Applica	(Name & designation) tion in part of form D for commutation of fraction of pension without medical examination.
Place:	Signature
Date:	Head of Office
1	This acknowledgement should be detached from the form and handed over to the applicant. If the form has been received by post, the acknowledgement should be sent to the applicant by registered post. If this form has been received by the State Government after the retirement of the officer, it should be returned to him to submit fresh application in form E.
	ded to the Accounts Officer,
	dicate the address and designation)
Military Tour	e remarks that:- (i) the particulars furnished by the application in part I have been verified and are correct:
	 the applicant is eligible to get a fraction of his pension commuted without medical examination;
	(iii) the commuted value of pension determined with reference to the Table applicable at present comes to Rsand
	(iv) the amount of resisuary pension after commutation will be Rs
	2. The pension Papers of the application completed in all respect were forwarded under this Government's letter No
	payment of commuted Value of pension may be authorised through the Pension payment order which may be issued one month before the retirement of the applicant.
	3. The receipt of part I of this form has been acknowledged in part II which has been forwarded separately to the applicant.
	4. The commuted value of pension is dubitable to Head of Account
Place:	
Date:	
	Signature
	Head of Office

ः बाएं हाथ की उंगलियों के निशान :

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
	-			
	1			
			1	
			1	
	_			- 1

PROFORMA FOR ZERO OPTION OF DRAWAL OF PENSION IN RESPECT OF ALL INDIA SERVICE OFFICERS (AT THE TIME OF RETIREMENT).

1.	I opt to draw my pension/fan	nily pension from (tick /):-
	Government of IndiaState Government	
2.	Name (in block letter)	·
3.	Designation & Cadre/batch	
4.	Date of Retirement/Death	
5.	Office Address with Tele phone No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.	Residential Address	
1		
7.	Telephone No. (Res)	
8.	Aadhaar Number	
9.	E-Mail ID, if any	
10.	PPO No. (in case of retired of	fficer):
	e i	
	Place:	Signature of Pensioner
	Dated:	

Date

SPECIMEN LETTER OF UNDERTAKING BY THE PENSIONER

			D 0110	
То				
	The Branch Manager			
		(Bank)		
		(Branch & address)		
Dea	ar Sir,			
	Payment of pension under	P.P.O. No	through your o	ffice.
refu to r und inde my irrev	ne every month by credit to a and or make good any amoun my account in excess of the ertake and agree to bind my emnify the bank from and ag pension to my account under	my account with you. I the to which I am not entitled amount to which I am cyself and my heirs, successinst any loss, suffered on the scheme and to forthwo recover the amount due	eed to make payment of pension a undersigned agree and undertake or any amount which may be creater would be entitled. I further he assor, executors and administrator incurred by the bank in so create with pay the same to the bank and e by debit to my said account or on of the bank.	ke to dited reby rs to liting also
			Yours faitht	uliv.
			Signature:	/ .
			Name:	
			Address:	
Witn	esses:			
(1)	Signature:	(2)	* Signature:	
	Name:		Name:	
	Address:		Address:	
	Date:		Date:	

FORM - 5 (See rule 7)

To													
Head o	of Office.												
CPAO	New D	elhi.											
	1								(Nam	e of	the pens	ioner	in Capital
letter) (Comn	hereby	nominate of Pension	the	person es. 1981	names	below	under	rule	7 01	the	Central	Civil	Services

Name and address of nominee	Relationship with the pensioner	the miner		Name and address of other	Relationship with the pensioner	Date of birth if other	Name and address of person	Contingency on happening
		Date of birth	Name and address of person whom may receive the said commuted value during the nominee' minority	nominee in case the nominee under column		nominee is minor	who may receive the commuted value of pension during the other nominee's minority	of which nomination shall become invalid
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ent des corrections and the beautiful beautifu					
Que.								
)							

Place	and name of Pensioner :				
Date	Address :				
Witness : Signature	Signature of Head of Office				
Name and Address :	Stamp				

	सेवानिवृत्ति हो	रहे	भाप्रसे	अधिकारियों	की	पेंशन	प्रकरण	हेतु	जानकारी	;-
--	-----------------	-----	---------	------------	----	-------	--------	------	---------	----

1.	अधिकारी का नाम		
2.	पेन नं		
3.	आधार नं		
4.	मो. नं		
5.	ई-मेल आई डी		
स्थान दिनांक			
		अधिकारी	के हस्ताक्षर

सील